<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>25.04.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने एक बड़े भूमि घोटाले के सिलसिले में गोवा में कई स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 24.04.2025 और 25.04.2025 को तलाशी अभियान चलाया है।

इस मामले में खुफिया जानकारी और उसके बाद की गई वित्तीय जांच के आधार पर तलाशी ली गई, जिसमें पता चला कि रोहन हरमलकर नामक एक व्यक्ति मुख्य मास्टरमाइंड है, जिसने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर "धोखाधड़ी के माध्यम से, नकली दस्तावेजों के निर्माण, राजस्व रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ आदि" के माध्यम से सही मालिकों की जमीन को अवैध रूप से हड़पने के लिए बड़े पैमाने पर साजिश रची। ये संपत्तियां मूल रूप से व्यक्तियों और पारिवारिक रियासतों के स्वामित्व में थीं, जिन्हें उनकी सहमति के बिना अवैध रूप से बेचा गया, जिससे ऐसे पीड़ितों को गंभीर वित्तीय और कानूनी संकट का सामना करना पड़ा।

तलाशी के दौरान आपत्तिजनक संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए, जिनका वर्तमान बाजार मूल्य 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें जाली शीर्षक विलेख भी शामिल हैं, जो भूमि अभिलेखों में हेरफेर और बारदेज़ तालुका में अंजुना, अरपोरा और असगांव जैसे प्रमुख पर्यटक आकर्षण के केंद्र में कई लाख वर्ग मीटर में फैले उच्च मूल्य के भू-खण्ड के धोखाधड़ीपूर्ण हस्तांतरण का संकेत देते हैं। इसके अतिरिक्त, तलाशी कार्रवाई के दौरान 600 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों के मूल दस्तावेज जब्त किए गए।

तलाशी के दौरान यह भी पता चला कि अपराध से अर्जित आय को विभिन्न व्यक्तियों और बेनामी संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया गया और अंततः रियल एस्टेट, लक्जरी वाहनों और अन्य उच्च मूल्य वाली संपत्तियों में निवेश किया गया।

धन के स्रोत का पता लगाने, अन्य लाभार्थियों की पहचान करने और अवैध संपत्ति लेनदेन की प्रक्रिया से जुड़े सरकारी अधिकारियों सहित अन्य व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।